भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1303

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

पीएमएजीवाई की मुख्य विशेषताएं

1303. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न भागों में लागू की गई प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र विशेषकर इसके संभाजी नगर जिला और मुंबई तथा मध्य प्रदेश सहित अब तक उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कितने गांवों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त गांवों, विशेषकर संभाजी नगर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, संपर्क और आजीविका जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किस हद तक सुधार हुआ है;

(घ) क्या प्रमुख विकास क्षेत्रों में अंतर को पाटने में किसी समस्या का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त समस्याओं से निपटने के लिए राज्य-वार, विशेषकर दादरा और नगर हवेली, मुंबई सहित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उठाए गए या प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): वर्ष 2021-22 में पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) नामक व्यापक योजना में विलय कर दिया गया है। इस योजना के तहत 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले और 500 या इससे अधिक की कुल आबादी वाले गांव चयन के लिए पात्र हैं। चयनित गांवों को 10 क्षेत्रों अर्थात् पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज

समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका और कौशल विकास के अंतर्गत अनुबंध में किए गए उल्लेख के अनुसार चिन्हित चिन्हित 50 सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों से परिपूर्ण किया गया है।

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। संबंधित गांवों की ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) में पहचानी गई सभी कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है और गांवों में महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए योजना के तहत उपलब्ध कराई गई गैप फिलिंग निधि का प्राथमिकता के आधार पर ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण मोड में निष्पादन किया जा सके।

नये चयनित गांवों के लिए प्रति गांव 21.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 20.00 लाख रुपये चयनित गांवों में 'कमी को दूर करना' घटक के तहत गतिविधियों के लिए हैं। शेष 1.00 लाख रुपये की राशि प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए उपयोग की जाती है।

वर्ष 2018-19 से अब तक 29851 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें से 10240 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है।

(ख): वर्ष 2018-19 से अब तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत कुल 29,851 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से 1,690 गांव मध्य प्रदेश से और 515 गांव महाराष्ट्र से चुने गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई या संभाजी नगर जिले से कोई गांव नहीं चुना गया है। आदर्श ग्राम घटक को संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में क्रियान्वित नहीं किया गया है।

(ग): संभाजी नगर जिले में आदर्श ग्राम घटक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

(घ): जी नहीं।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

50 सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक निगरानी योग्य संकेतकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**निगरानी योग्य संकेतकों के क्षेत्र/ब्यौरे**
1.	**पेयजल और स्वच्छता**
1.1	क्या गांवों को कवर करने के लिए पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)
1.2	स्वच्छ पेयजल प्रदत्त परिवारों का %
1.3	अलग-अलग परिवार शौचालय (आईएचएचएल) वाले परिवारों का %
1.4	क्या गांवों में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालय हैं? (हां/नहीं)
1.5	क्या गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं? (हां/नहीं)
1.6	सभी आंतरिक सड़कों के साथ जुड़ी नालियों का %
1.7	मौजूदा चालू नालियों का %
1.8	ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावशाली ढंग से निपटान करने का %
2.	**शिक्षा**
2.1	प्राथमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %
2.2	मिडिल स्कूलों में बालक और बालिकाओं (11-13 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %
2.3	माध्यमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (14-15 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %
2.4	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बालक और बालिकाओं (16-17 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %
2.5	उच्चतर माध्यमिकोत्तर शिक्षा के अंतर्गत बालक और बालिकाओं (18-23 वर्ष) दोनों की उपस्थिति का %
2.6	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (स्कूल जाने वाले तथा पात्र छात्रों में से)
2.7	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत (मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे और पात्र छात्रों में से)
3.	**स्वास्थ्य और पोषण**
3.1	किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों का %
3.2	क्या कॉल करने पर आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है? (हां/नहीं)
3.3	रक्त की गंभीर कमी वाली गर्भवती महिलाओं का %
3.4	पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में संस्थागत प्रसूतियों का %
3.5	पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे कम वजन के नवजात बच्चों का %
3.6	बच्चों (< 1 वर्ष) के पूर्ण टीकाकरण का %
3.7	गांवों में कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) का %
3.8	पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई?
3.9	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों (< 1 वर्ष) की मृत्यु हुई?
3.10	प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्राप्त कर रहे संचारी रोग से पीड़ित व्यक्तियों का %
3.11	क्या सभी आंगनवाड़ियों का निर्माण कर लिया गया है? (हां/नहीं)
4.	**समाज सुरक्षा**
4.1	विधवा पेंशन प्राप्त पात्र महिलाओं का %
4.2	वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का %
4.3	दिव्यांगता पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का %

5.	**ग्रामीण सड़कें और आवास**
5.1	क्या गांव को प्रत्येक प्रकार के मौसम की सड़कों के साथ जोड़ा गया है? (हां/नहीं)
5.2	सीसी/ब्रिक टॉप/पक्की/टाइलों वाली आंतरिक सड़कों का %
5.3	कच्चे/असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों का %
6.	**बिजली और स्वच्छ ईंधन**
6.1	क्या गांव में बिजली लगाई गई है? (हां/नहीं)
6.2	बिजली के कनेक्शन दिए गए परिवारों का %
6.3	कम से कम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे परिवारों का %
6.4	गैस कनेक्शन दिए गए परिवारों का %
6.5	स्ट्रीट लाइट की सुविधा वाली आंतरिक सड़कों का %
7.	**कृषि पद्धतियां आदि**
7.1	सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए पात्र किसानों का %
7.2	आर्गेनिक खेती संबंधी अपनाई गई पद्धतियों की प्रमात्रा (प्रतिशत में)
7.3	जल संरक्षण प्रबंधन संबंधी अपनाई गई पद्धतियों की प्रमात्रा (प्रतिशत में)
8.	**वित्तीय समावेशन**
8.1	गांवों में रहने वाले लोगों (>5 वर्ष) का प्रतिशत जिनके पास आधार पहचान पत्र हैं
8.2	बैंकों/डाकघरों में खाते रखने वाले परिवारों का %
8.3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों का %
8.4	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का %
9.	**डिजिटलीकरण**
9.1	क्या गांव को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है? (हां/नहीं)
9.2	क्या गांव में कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है? (हां/नहीं)
9.3	डिजटली शिक्षित पात्र व्यक्तियों का %
10.	**आजीविका और कौशल विकास**
10.1	कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं का %
10.2	बैंक से ऋण प्राप्त करने में सफल पात्र युवाओं का %
10.3	उन परिवारों का प्रतिशत जिनका कम से कम एक सदस्य किसी एसएचजी का सदस्य है

*****